यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)- तृतीय, राज्य कर, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)- तृतीय, राज्य कर, हरिद्वार के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री रमेश कुमार केशरी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मनोज कुमार, सुपरवाइजर, तथा श्री मातवर सिंह राणा, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 06.03.2021 से 18.03.2021 तक श्री हिमांशु मणि, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी. के. श्रीवास्तव व श्री बी. बी. एम. त्रिपाठी , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.06.2019 से 14.06.2019 तक श्री के. एल. भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह -- से -- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -** लक्सर, सिडकुल सेक्टर- 8,9,11,12 आटो पार्टस।

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

(₹ लाख मे)

वर्ष	**अर्जित राजस्व**
2017-18	1984.88
2018-19	4262.12
2019-20	5563.85

(ii) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (Plan)		गैर स्थापना (Non Plan)		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना ()	गैर स्थापना ()	आवंटन ()	व्यय ()	आवंटन ()	व्यय ()		
		लागू नहीं						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
लागू नहीं					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A' श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त **>** आयुक्त, राज्य कर**>** संयुक्त आयुक्त, राज्य कर**>** उपायुक्त, राज्य कर**>** सहायक आयुक्त, राज्य कर**>** राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)- तृतीय, राज्य कर, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)- तृतीय, राज्य कर, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: -------- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ---------- को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर-1: संविदाकार द्वारा कम दर से कर जमा करने के फलस्वरूप कर का न्यूनारोपण `20.32 लाख ।

प्रस्तर-2: कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ` 5.37 लाख का कम डिमाण्ड किया जाना ।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1: अधिक रिफण्ड किया जाना ` 5.48 लाख ।

प्रस्तर-2: देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण `5.01 लाख ।

प्रस्तर-3: कर का न्यूनारोपण एवं अनारोपण ` 3.28 लाख ।

प्रस्तर-4: संविदाकार को अधिक वापसी ` 1.19 लाख

प्रस्तर-5: अप्राप्त फार्म "एफ" पर कर का अनारोपण ` 0.67 लाख ।

STAN

STAN-01: ब्याज की कम गणना किया जाना ` 0.04 लाख ।

STAN-02 फार्मों का सत्यापन न कराया जाना ।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

(राजस्व की लेखापरीक्षा)

<u>भाग- 2(अ)</u>

प्रस्तर-1 संविदाकार द्वारा कम दर से कर जमा करने के फलस्वरूप कर का न्यूनारोपण ` 20.32 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग के पत्र संख्या: 380/2013/02(120)/XXVII(8)/2013 देहरादून, दिनांक 28.03.2013 के 3(ग) के अनुसार, सिविल संविदाकार द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत से अधिक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो, समाधान राशि की गणना आगणित राशि के 6 प्रतिशत की दर से की जायेगी । बिन्दु सं0 6 के अनुसार, संविदाकार को अनुबन्ध वार आयातित माल के प्रयोग से सम्बन्धित विवरण, वर्ष के अन्त में प्रस्तुत किये जाने वाली वार्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत करना होगा । यदि संविदाकार जाँच के दौरान आयातित माल का प्रयोग अनुबन्ध के निस्तारण में किया जाना प्रमाणित नहीं कर पाता है तो ऐसे आयातित माल की खरीद पर भाड़ा तथा अन्य खर्चों को जोड़ते हुये आयी धनराशि पर 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये ऐसे माल की बिक्री निर्धारित की जायेगी तथा उस पर नियमानुसार कर आरोपित किया जायेगा । साथ-साथ अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जा सकेगी ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-तृतीय, राज्य कर, हरिद्वार की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि संविदाकार सर्वश्री नवीन टैक्नो प्रोजेक्ट, गांव भूटाना, लक्सर, हरिद्वार (टिन नं0 05006854336) कर निर्धारण वर्ष 2015-16 द्वारा विभिन्न अनुबन्धों के अन्तर्गत ` 10,16,00,694 की धनराशि प्राप्त की थी । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 4% की दर से कर आरोपित किया । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ` 40,28,723 का अन्तरण किये गये माल का आयात होना बताया जो कि कुल धनराशि का 5% से कम है ।

संविदाकार द्वारा संलग्न की गई फार्म-16 की लिस्ट के अवलोकन में पाया गया कि संविदाकार द्वारा ` 1,01,82,610 की प्लान्ट मशीनरी का आयात होना बताया । जबकि सूची के अवलोकन में पाया गया कि निम्न वस्तुओं का आयात किया गया जिसे प्लान्ट एवं मशीनरी में शामिल कर लिया गया जबकि यह प्लान्ट एवं मशीनरी के अन्तर्गत नहीं आती है:-

` 1,34,946 MC Parts

` 7,97,138	Sheet
` 5,84,608	WTP
` 92,115	Wall Clock
` 1,07,701	Beam
` 3,88,931	Angle Channel
` 1,49,121	MC Parts
` 83,854	Wall Clock
` 35,963	-
` 69,508	Water Cooler
` 27,000	Water Cooler
` 24,30,885	

उक्त धनराशि में ` 40,28,723 के सामग्री को जोड़ने पर ` 64,59,608 हो जाता है, जो कि प्राप्त धनराशि के 5% से अधिक है । अतः 6% की दर से कर जमा किया जाना है ।

अतः अन्तरीय दर 2% की दर से ` 10,16,00,694 का 2% की दर से ` 20,32,014 और कर आरोपणीय है ।

उक्त के अतिरिक्त संविदाकार द्वारा आयातित निर्माण सामग्री का "सामग्री खपत प्रमाणपत्र" अनुबन्धवार संलग्न नहीं किया गया, जिससे यह ज्ञात हो सके कि आयातित सामग्री का प्रयोग आवंटित संविदा कार्य में ही किया गया । जिसके अभाव में आयातित सामग्री पर लाभांश जोड़ते हुये करदेयता होती है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

अतः कर का न्यूनारोपण ` 20.32 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लायी जाती है ।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर-1 अधिक रिफण्ड किया जाना ` 5.48 लाख ।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-तृतीय, राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान सर्वश्री शिव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी की वर्ष 2015-16 टिन संख्या 05007634022 की अन्तिम कर निर्धारण पत्रावली एवं जारी अन्तिम कर निर्धारण आदेशों का अवलोकन करने पर पाया गया कि संगत वर्ष में संविदाकार को ` 9,86,49,582 का क्रयादेश सिविल संविदा आवंटित कार्य करने हेतु दिया गया था । संगत वर्ष में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संविदाकार को फार्म-8डी के अनुसार ` 7,12,35,955 के प्राप्त भुगतान पर 2 प्रतिशत की दर से ` 14,24,719 समाधान शुल्क निर्धारित किया गया था । जबकि कार्य संविदा में स्वयं ही संविदाकार द्वारा बताया गया है कि ` 8,72,50,546 की निर्माण सामग्री का अन्तरण किया गया था, इसलिये ` 9,86,49,582 (क्रयादेश की धनराशि) पर यह मानते हुये कि इससे सामग्री एवं लेबर को भुगतान की गयी धनराशि भी सम्मिलित है, पर समाधान शुल्क निम्न प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिये थाः-

` 9,86,49,582 x 2% = ` 19,72,992

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित समाधान शुल्क ` 14,24,719

कम किया गया निर्धारित समाधान ` 5,48,273 (₹ 19,72,992 - ₹ 14,24,719)

प्रारूप-8 के अनुसार समाधान की राशि ` 42,74,157.00

वापसी योग्य धनराशि ` 23,01,165.00 (₹ 42,74,157 - ₹ 19,72,992)

वापस की गयी धनराशि ` 28,49,440

अधिक वापस की गयी धनराशि ` 5,48,275 (₹ 28,49,440 - ₹ 23,01,165)

इस प्रकार, कम धनराशि पर समाधान शुल्क निर्धारित किये जाने के कारण ` 5,48,275 अधिक धनराशि संविदाकार को वापस कर दी गयी थी । जिसकी वसूली पर नियमानुसार ब्याज भी देय होगा ।

इस सम्बन्ध में विभाग से पूछने पर अपने उत्तर में बताया गया कि संगत वर्ष में संविदाकार द्वारा ` 7,12,35,955 का भुगतान प्राप्त किया गया है, जिस पर ` 14,24,719 समाधान राशि का भुगतान किया गया है । इंगित आपत्ति में जिस सामग्री की राशि ` 9,88,35,732

का उल्लेख किया गया है वह संविदी फर्म द्वारा जारी वर्क आर्डर की धनराशि है । संविदा कार्य में प्रयुक्त माल की वैल्यू ` 8,72,50,546 है ।

विभागीय उत्तर सम्प्रेक्षा में मान्य ही नहीं है क्योंकि दिया गया उत्तर तर्क संगत ही नहीं है, क्योंकि जब आवंटित संविदा कार्य में ` 8,27,50,546 की सामग्री का अन्तरण हो चुका था, जिससे विभाग द्वारा स्वयं ही स्वीकार किया गया है, तो उसमें लेबर भी तो लगी होगी, बिना लेबर के सामग्री का अन्तरण सम्भव नहीं था । क्योंकि कार्य भी अवशेष होना नहीं बताया गया था । कोई भी संविदाकार अधिक मूल्य की निर्माण सामग्री का अन्तरण करके उसके सापेक्ष कम मूल्य प्राप्त करे ऐसा सम्भव नहीं होता है ।

अतः ` 5,48,273 संविदाकार को अधिक धनराशि वापसी करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग- 2(अ)

प्रस्तर-2 कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ` 5.37 लाख का कम डिमाण्ड किया जाना ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-तृतीय, राज्य कर, हरिद्वार की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री बालाजी सेल्स कारपोरेशन, सुभाष नगर, ज्वालापुर, हरिद्वार (टिन नं0 05011836353) कर निर्धारण वर्ष 2015-16 द्वारा ` 84,24,462 की आई0टी0सी0 का क्लेम किया गया । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऑनलाईन वेबसाईट पर मिलान करने पर ` 39,43,866 की आई0टी0सी0 सत्यापित पाया । किन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ` 44,80,596 की आई0टी0सी0 का लाभ दे दिया गया ।

अतः निम्न प्रकार मांग निकाली जानी चाहिये थीः-

प्रान्तीय कर	` 81,84,288
देय आई0टी0सी0 का समायोजन	` 39,43,866
अवशेष कर	` 42,40,422
कर निर्धारण आदेश के अनुसार मांग	` 37,03,692
कम निकाली गई मांग	` 5,36,730 (अर्थात् ` 42,40,422 - ` 37,03,692)

इस प्रकार, ` 5,36,730 कम मांग निकाली गयी । इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी । संशोधनोपरान्त करारोपण किया जायेगा ।

अतः कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ` 5.37 लाख का कम डिमाण्ड किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर-2 देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 5.01 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-11 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त ` 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20वीं तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ` 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20वीं तारीख तक देय कर का भुगतान करना है ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-58(1)(vii) के अन्तर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह देय कर के अतिरिक्त, अर्थदण्ड के रूप मेः-

(i) देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि देय कर 10 हजार रूपये तक हो और देय कर का 50% यदि देय कर 10 हजार रूपये तक हो, का दायी होगा ***(दिनांक 31.03.2015 से पूर्व)***,

(ii) यदि विलम्ब 01 माह तक हो तो देय कर का 5% का दायी होगा ***(दिनांक 31.03.2015 से)***,

(iii) यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर 20 हजार रूपये तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर 20 हजार रूपये से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा ***(दिनांक 31.03.2015 से)*** ।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-तृतीय, राज्य कर, हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि **<u>"संलग्न विवरण"</u>** में उल्लिखित व्यापारियों द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ` 1,01,25,479 को विलम्ब से जमा किया गया था । अतः विलम्ब से जमा कर की राशि पर उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार न्यूनतम ` 5,06,273 (अर्थात् ` 5.06 लाख) अर्थदण्ड देय था जिसे आरोपित नहीं किया गया **(विवरण संलग्न है)** ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

अतः देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 5.01 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

"संलग्न विवरण"

क्रम सं0	व्यापारी का नाम	संगत वर्ष में सकल विक्रय धन (` में)	कर निर्धारण वर्ष/कर निर्धारण की तिथि	माह	अदा कर (` में)	कर भुगतान की अनुमन्य तिथि	कर भुगतान की वास्तविक तिथि	अर्थदण्ड का न्यूनतम दर (प्रतिशत में)	न्यूनतम अर्थदण्ड (` में)	कर भुगतान में विलम्ब
1.	सर्वश्री मार्श हेल्थकेयर प्रा0 लि0, इण्ड0 एरिया, हरिद्वार । (TIN No. 05006366135)	18,38,45,132	2015-16 दिनांक 11.06.19	अप्रैल, 2015	4,34,620 16,968	20.05.2015	29.05.2015	5%	21,731 848	9 दिन
				मई, 2015	3,99,457 40,210	20.06.2015	29.06.2015	5%	19,973 2,011	9 दिन
				जून, 2015	4,26,918 59,153	20.07.2015	27.07.2015	5%	21,346 2,958	7 दिन
				जुलाई, 2015	5,48,543 47,594	20.08.2015	24.08.2015	5%	27,427 2,380	4 दिन
				अगस्त, 2015	3,33,665 22,720	20.09.2015	23.09.2015	5%	16,683 1,136	3 दिन
				सितम्बर, 2015	2,38,108 64,786	20.10.2015	02.11.2015	5%	11,905 3,239	13 दिन
				अक्टूबर, 2015	2,85,775 47,021	20.11.2015	30.11.2015	5%	14,289 2,351	10 दिन
				नवम्बर, 2015	3,54,249 21,310	20.12.2015	21.12.2015	5%	17,712 1,066	1 दिन

				दिसम्बर, 2015	5,07,845 81,845	20.01.2016	05.02.2016	5%	25,392 4,092	17 दिन
				जनवरी, 2016	2,91,269 28,820	20.02.2016	29.02.2016	5%	14,563 1,441	9 दिन
				फरवरी, 2016	2,67,117 44,448	20.03.2016	21.03.2016	5%	13,356 2,222	1 दिन
				मार्च, 2016	3,09,580	20.04.2016	02.05.2016	5%	15,479	12 दिन
								योग (i)	**2,43,600**	
2.	सर्वश्री आर0 एन0 एलोय, बहादराबाद, हरिद्वार । (TIN No. 05014724625)	6,02,26,186	2015-16 दिनांक 04.04.19	अप्रैल, 2015	1,90,000 10,000	20.05.2015	29.05.2015	5%	9,500 500	9 दिन
				मई, 2015	2,20,000 30,000	20.06.2015	30.06.2015	5%	11,000 1,500	10 दिन
				जून, 2015	2,05,000 20,000	20.07.2015	24.07.2015	5%	10,250 1,000	4 दिन
				जुलाई, 2015	1,90,000 10,000	20.08.2015	01.09.2015	5%	9,500 500	12 दिन
				अगस्त, 2015	25,000 15,000	20.09.2015	28.09.2015	5%	1,250 750	8 दिन
				सितम्बर, 2015	10,000 7,000	20.10.2015	26.10.2015	5%	500 350	6 दिन
				नवम्बर, 2015	1,55,000 5,000	20.12.2015	31.12.2015	5%	7,750 250	11 दिन

				जनवरी, 2016	1,70,000 50,000	20.02.2016	29.02.2016	5%	8,500 2,500	9 दिन
				फरवरी, 2016	1,82,000 58,000	20.03.2016	30.03.2016	5%	9,100 2,900	10 दिन
				मार्च, 2016	20,000 40,000	20.04.2016	01.05.2016	5%	1,000 2,000	12 दिन
								योग (ii)	**80,600**	
3.	सर्वश्री अक्षय एल्युमीनियम एलॉज (प्रा0) लि0, बहादराबाद, हरिद्वार । (TIN No. 05011923944)	22,24,56,708 धारा 25(7)	2015-16 (प्रान्तीय) दिनांक 27.09.19	अप्रैल, 2015	5,91,459	20.05.2015	21.05.2015	5%	29,573	1 दिन
				मई, 2015	10,89,668	20.06.2015	25.06.2015	5%	54,483	5 दिन
				जुलाई, 2015	4,97,647	20.08.2015	28.08.2015	5%	24,882	8 दिन
								योग (iii)	**1,08,938**	
4.	सर्वश्री योगराज एण्ड सन्स, कनखल, हरिद्वार । (TIN No. 05002259058)	2,26,42,607 धारा 25(7)	2015-16 (प्रान्तीय) दिनांक 27.09.19	जून, 2015	88,700	20.07.2015	23.07.2015	5%	4,435	3 दिन
				जुलाई, 2015	97,459	20.08.2015	28.08.2015	5%	4,873	8 दिन
				सितम्बर, 2015	1,38,744	20.10.2015	28.10.2015	5%	6,937	8 दिन
								योग (iv)	**16,245**	
5.	सर्वश्री ग्लोबल टेक, श्याम विहार, कनखल	2,09,99,761 धारा 25(7)	2016-17 दिनांक	प्रथम त्रैमास (04/2016 से	2,45,396	20.07.2016	09.08.2016	5%	12,270	20 दिन

	रोड, हरिद्वार । (TIN No. 05010581270)		19.03.20	06/2016)						
				द्वितीय त्रैमास (07/2016 से 09/2016)	155+ 2,50,735 =2,50,890	20.10.2015	15.11.2016	5%	12,545	26 दिन
				तृतीय त्रैमास (10/2016 से 12/2016)	2,56,515	20.01.2017	18.02.2017	5%	12,826	29 दिन
				चतुर्थ त्रैमास (01/2017 से 03/2017)	2,84,980	20.04.2017	08.05.2017	5%	14,249	19 दिन
								योग (v)	**51,890**	
				योग	**1,01,25,479**			**महायोग [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)]**	**5,06,273**	

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर-3 कर का न्यूनारोपण एवं अनारोपण ` 3.28 लाख ।

अधिसूचना सं0 /2012/02(120)/XXVII(8)/12 दिनांक 28.05.2012 के अनुसार उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अनुसूची-II(ख) में विनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में 5% की दर से करदेयता निर्धारित है ।

अवर्गीकृत माल के सम्बन्ध में 13.5% की दर से करदेयता है ।

पुनः दिनांक 04.10.2016 से अवर्गीकृत माल के सम्बन्ध में 14.5% संशोधित की गई है।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-तृतीय, राज्य कर, हरिद्वार की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री टी0एम0आर0 पॉली ट्यूब, आई0आई0पी0, सिडकुल, हरिद्वार (टिन नं0 05016126954) कर निर्धारण वर्ष 2016-17 (केन्द्रीय) के संगत कर निर्धारण पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा वर्ष 2016-17 के प्रथम त्रैमास में ` 10,00,000 की पुरानी प्लाण्ट एण्ड मशीनरी की बिक्री फार्म-सी के विरूद्ध घोषित की गयी है, परन्तु उक्त बिक्री के सम्बन्ध में कोई प्रपत्र-सी दाखिल नहीं किया गया है । अतः कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उक्त बिक्री पर 5% की दर से ` 50,000 कर आरोपित किया गया है । आगे जांच में पाया गया कि Schedule of Fixed Assets as per Income Tax Act, 1961 में संगत वर्ष में ` 26,72,450 की प्लाण्ट एण्ड मशीनरी का Deletions दर्शाया गया है जबकि उक्त अवधि में उपरोक्त ` 10,00,000 की प्लाण्ट एवं मशीनरी की बिक्री की गई है । अतः शेष प्लाण्ट एवं मशीनरी ` 16,72,450 (अर्थात् ` 26,72,450 - ` 10,00,000) की बिक्री वर्षान्त में किया गया है ।

जबकि प्लाण्ट एण्ड मशीनरी उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के किसी भी अनुसूची में उल्लिखित न होने के कारण 13.5% (दिनांक 04.10.2016 से पूर्व) तथा 14.5% (दिनांक 04.10.2016 के पश्चात्) की दर से करदेयता है ।

अतः ` 10,00,000 के प्लाण्ट एवं मशीनरी की बिक्री पर अन्तरीय दर 8.5% (13.5% - 5%) तथा ` 16,72,450 की बिक्री पर 14.5% की दर से क्रमशः ` 85,000 कर का न्यूनारोपण एवं ` 2,42,505 कर का अनारोपण रहा ।

इस प्रकार प्लाण्ट एवं मशीनरी की बिक्री पर ` 3,27,505 (अर्थात् ` 85,000 + ` 2,42,505) और कर आरोपणीय था जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित नहीं किया । इस कर की राशि जमा होने की तिथि तक नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

अतः कर का न्यूनारोपण ` 0.85 लाख एवं अनारोपण ` 2.43 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर-4 संविदाकार को अधिक वापसी ` 1.19 लाख ।

पत्रांकः 380/2013/02(120)/XXVII(8)/2013 के क्रमांक 9 के अनुसार जो संविदाकार समाधान योजना नहीं अपनायेंगे उनका नियमित कर निर्धारण किया जायेगा । जो संविदाकार देय व्यापार कर के स्थान पर धारा 7 की उपधारा (2) में समाधान राशि जमा करने का विकल्प अपनाना चाहते हैं वह इस हेतु निर्धारित प्रारूप 723 में प्रार्थना पत्र संविदा की तिथि से 90 दिन के अन्दर अपने कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत न किये जाने की दशा में उसे अगले 90 दिन के अन्दर देय समाधान राशि तथा उस पर 15% वार्षिक की दर से देय ब्याज सहित प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

क्रमांक 11 के अनुसार किसी संविदाकार को इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वह अपनी सम्पूर्ण संविदाओं में से केवल कुछ संविदाओं के सम्बन्ध में समाधान राशि का विकल्प ले ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-तृतीय, राज्य कर, हरिद्वार की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी/संविदाकार सर्वश्री लिमरा इण्टरप्राईजेज, ग्राम-मुस्तफाबाद, पदार्था, लक्सर, हरिद्वार (टिन नं0 05006322970) क.नि. वर्ष 2015-16 का दिनाकं 25.02.2015 को M/s Executive Engineer, Construction Division, Uttarakhand Peyjal Nigam, Haridwar से Civil Work हेतु अनुबन्ध हुआ । संविदाकार द्वारा समाधान योजना का विकल्प का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.09.2015 को दाखिल किया । जो कि 180 दिन

के बाद समाधान योजना के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 18.02.2016 को समाधान हेतु स्वीकृत कर दिया । जबकि इसे 180 दिन से अधिक होने के कारण नियमित कर निर्धारण किया जाना चाहिये । नियम 11 के अनुसार अन्य संविदाओं का भी नियमित कर निर्धारण किया जाना चाहिये । जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 7(2) के अन्तर्गत कर निर्धारण किया ।

अतः निम्न प्रकार कर निर्धारण करके कर आरोपित किया जाना चाहियेः-

आडिट रिपोर्ट के अनुसार घोषित भुगतान	` 79,28,941
(-) लेबर 30%	` 23,78,682
	` 55,50,259

इस पर सामग्री के अनुपात के अनुसार कर आरोपणीय है । न्यूनतम 5% लगाने पर कर ` 55,50,259 x 5% = ` 2,77,513

TDS प्रमाणपत्र के अनुसार, जमा धनराशि = ` 3,55,532

वापसी योग्य धनराशि = ` 78,019 (₹ 3,55,532 - ₹ 2,77,513)

वापस की गयी धनराशि = ` 1,96,953

अधिक वापस की गयी धनराशि = ` 1,18,934 (₹ 1,96,953 - ₹ 78,019)

इस प्रकार, ` 1,18,934 अधिक धनराशि वापस कर दी गयी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

अतः संविदाकार को अधिक वापसी ` 1.19 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग- 2(ब)</u>

प्रस्तर-5 अप्राप्त फार्म "एफ" पर कर का अनारोपण ` 0.67 लाख ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-तृतीय, राज्य कर, हरिद्वार की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री वी0 के0 सर्जिकल प्रा0 लि0, इण्डस्ट्रियल एरिया, बहादराबाद, हरिद्वार (टिन नं0 05001966603) कर निर्धारण वर्ष 2015-16 द्वारा ` 20,40,249 का जॉब वर्क किया है । प्रान्तीय कर निर्धारण आदेश के अनुसार ` 13,09,525 का जॉब वर्क प्रान्तीय किया है । इस प्रकार, ` 7,30,724 का जॉब वर्क प्रान्त बाहर किया गया है । व्यापारी द्वारा प्रान्त बाहर जॉब वर्क किये जाने के सम्बन्ध में ` 1,71,500 का फार्म "एफ" दाखिल किया है । इस प्रकार, ` 5,59,224 के जॉब वर्क प्रपत्र "एफ" के अभाव में पूर्ण दर से कर आरोपणीय है । जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ` 61,851 पर जॉब वर्क प्रपत्र के अभाव में 13.5% की दर से कर आरोपित किया । इस प्रकार ` 4,97,373 जॉब वर्क अप्राप्त प्रपत्र "एफ" पर कर लगने से रह गया । अतः ` 4,97,373 का 13.5% की दर से ` 67,145 और कर आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि पत्रावली की जांच पर कार्यवाही की जायेगी ।

अतः अप्राप्त फार्म "एफ" पर कर का अनारोपण ` 0.67 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

STAN-01 ब्याज की कम गणना किया जाना ` 0.04 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अनुसार स्वीकृत कर पर ब्याज की दर 15% वार्षिक है ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)-तृतीय, राज्य कर, हरिद्वार की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री शेष इन्जीनियरिंग कम्पनी (प्रा0) लि0, इण्डस्ट्रियल एरिया, बहादराबाद, देहरादून (टिन नं0 05001922468) कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण आदेश धारा 9(2) में बताया गया कि समायोजन के पश्चात् शेष कम जमा ` 28,911 जिसे व्यापारी आदेश प्राप्ति के तुरन्त दिनांक 01.10.2016 से जमा करने की तिथि तक नियमानुसार 15 प्रतिशत की दर से ब्याज भी जमा करेंगे । जिसके सम्बन्ध में वसूली प्रमाण पत्र संख्या 56 दिनांक 18.01.2021 को जारी किया गया था ।

व्यापारी द्वारा उक्त कर की धनराशि ` 28,911 दिनांक 03.02.2021 को ई-चालान संख्या 0040022100469191 द्वारा जमा किया गया ।

कार्यालय के बकाया वसूली पंजिका (वर्ष 2019-20) के क्रमांक 10 में ` 14,480 ब्याज अंकित करते हुए आर0सी0-10/89 जारी किया गया है ।

लेखापरीक्षा द्वारा कर की उक्त राशि ` 28,911 पर दिनांक 01.10.2016 से दिनांक 03.02.2021 (कर जमा करने की तिथि) तक अर्थात् 04 वर्ष 04 माह 02 दिन का ब्याज ` 18,816 आगणित की गई ।

इस प्रकार, ` 4,336 (अर्थात् ` 18,816 - ` 14,480) ब्याज कम वसूल करने का आदेश दिया गया है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि ब्याज की पुनर्गणना करके वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।

अतः ब्याज की कम गणना ` 0.04 लाख किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

STAN-02 फार्मों का सत्यापन न कराया जाना ।

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड के पत्रांकः 2438/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/प्रवर्तन अनुभाग/2014-15/ दे0दून दिनांक 02/09/2014 के अनुसार ` 5,00,000 (पाँच लाख) या उससे अधिक धनराशि के प्रत्येक फार्म/घोषणा पत्र (फार्म-'सी'/फार्म-'एफ'/फार्म-'एच') के सत्यापन का कार्य सम्बन्धित सम्भाग के ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) के कार्यालय में स्थापित सत्यापन प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जाना है । इसके अतिरिक्त संवेदनशील वस्तुएं जैसे- आयरन एण्ड स्टील, खाद्य तेल आदि के सत्यापन हेतु ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सत्यापन कक्ष में तैनात अधिकारी या उनके संभाग में तैनात कर निर्धारण अधिकारी को भेजकर भी सत्यापन करायेंगे ।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)-तृतीय, राज्य कर, हरिद्वार की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्यालय द्वारा फार्म-सी/फार्म-एफ/फार्म-एच का सत्यापन नहीं कराया जा रहा था ।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि संदिग्ध प्रतीत होने वाले फार्म-सी/एफ/एच का सत्यापन कराया जाता है ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आयुक्त कर के पत्र के अनुसार ` 5 लाख या उससे अधिक धनराशि के प्रत्येक फार्म/घोषणा पत्र के सत्यापन का कार्य किया जाना है एवं इसके अतिरिक्त संवेदनशील वस्तुएं जैसे आयरन एण्ड स्टील, खाद्य तेल आदि का भी सत्यापन कराया जाना है ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
CT-33/2018-19	-	1,2,4	STAN-1
CT-25/2017-18	-	1,2,3	-
RS/CT-20/2019-20	-	1,2,3	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)- तृतीय, राज्य कर, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री वीर सिंह,	उपायुक्त (क.नि.)- III राज्य कर हरिद्वार

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV